रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2017/फाल्गुन 3, 1938
No. 533] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2017/PHALGUNA 3, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2017

सं. 39/2015–2020

विषयः– विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के अध्याय 4 के पैरा 4.44 में संशोधन।

का.आ. 596(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के अध्याय 4 के पैरा 4.44 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

1. विदेश व्यापार नीति 2015–20 का मौजूदा पैरा 4.44 इस प्रकार हैः

4.44 शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा के साथ तराशे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात

''एक निर्यातक (जिसका गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ रु० के निर्यात का वार्षिक कारोबार हो) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.74 में उल्लिखित किसी भी अभिकरण/प्रयोगशाला को तराशे हुए और पालिश किए गए हीरे (प्रत्येक 0.25 कैरेट अथवा अधिक) का निर्यात कर सकता है जिसमें निर्यात की तिथि से 3 माह की अवधि के अंदर शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा है। शुन्य शुल्क पर पुनः आयात की यह सुविधा राजस्व विभाग के केन्द्रीय सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगी''।

2. विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के संशोधित पैरा 4.44 को निम्नानुसार पढ़ा जाएः

4.44 शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा के साथ तराशे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात

''एक निर्यातक (जिसका गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ रु० के निर्यात का वार्षिक कारोबार हो) **अथवा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में स्थित अधिकृत कार्यालय/अभिकरण** प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.74 में उल्लिखित किसी भी अभिकरण/प्रयोगशाला को तराशे हुए और पालिश किए गए हीरे (प्रत्येक 0.25 कैरेट अथवा अधिक) का निर्यात कर सकता है जिसमें निर्यात की तिथि से 3 माह की अवधि के अंदर शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा है। शून्य शुल्क पर निर्यात और परिणामी पुनः आयात की यह सुविधा राजस्व विभाग के केन्द्रीय सीमाशुल्क एवं उत्पादशुल्क बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगी।''

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव** : शून्य शुल्क पर तराशे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात एवं पुनः आयात हेतु प्रमाणन एवं ग्रेडिंग के प्रयोजनार्थ यह सुविधा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत में स्थित कार्यालयों/अभिकरणों को प्रदान कर दी गई है।

[फा. सं. 01/94/180/52/एएम16/पीसी–4]

अजय कुमार भल्ला, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2017

No. 39 /2015-2020

Subject: Amendment in Para 4.44 of Chapter 4 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20

S.O. 596(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendments in para 4.44 of Chapter 4 of Foreign Trade Policy 2015-20.

1. The existing Para 4.44 of FTP 2015-20 reads as under**:**

4.44 Export of Cut & Polished Diamonds with Re-import Facility at Zero Duty

"An exporter (with annual export turnover of Rs. 5 crores for each of the last three years) may export cut & polished diamonds (each of 0.25 carat or above) to any of the agencies/laboratories mentioned under paragraph 4.74 of Handbook of Procedures with re-import facility at zero duty within 3 months from the date of export. Such facility of reimport at zero duty will be subject to guidelines issued by Central Board of Customs & Excise, Department of Revenue".

2. The amended Para 4.44 of FTP 2015-20 is to be read as under:

4.44 Export of Cut & Polished Diamonds with Re-import Facility at Zero Duty

"An exporter (with annual export turnover of Rs 5 crores for each of the last three years) ***or the authorised offices / agencies in India of laboratories mentioned under paragraph 4.74 of Handbook of Procedures*** *may export cut & polished diamonds (each of 0.25 carat or above) to any of the agencies/laboratories mentioned under paragraph 4.74 of Handbook of Procedures 2015-20 with re-import facility at zero duty within 3 months from the date of export. Such facility of export and subsequent reimport at zero duty will be subject to guidelines issued by Central Board of Customs & Excise, Department of Revenue".*

3. **Effect of Notification :** The facility for export and re-import of cut and polished diamonds at zero duty for the purpose of certification and grading has been extended to the authorised offices/ agencies in India of laboratories mentioned under paragraph 4.74 of Handbook of Procedures 2015-20.

[F.No. 01/94/180/52/AM16/PC-4]

AJAY KUMAR BHALLA, Director General of Foreign Trade

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.02.28 15:21:27 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.